तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 532 / 2023 / अजमेर जगदीश बनाम सुखपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–

श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री मदन पुरी गोस्वामी, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 31–03–2023

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गय

निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी की ओर से निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2023 विधिविरूद्ध है। उक्त आदेश की आड़ में अप्रार्थी प्रार्थी की आराजी को खुर्द–बुर्द कर देने जिससे प्रार्थी को उनके हक अधिकारों से महरूम करने पर उतारू हैं जिन्हें न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है। अंत में निगरानी एडमिट कर स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए निगरानीधीन आदेश व प्रभाव को ताफैसला निगरानी स्थगित रखे जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बहस का खण्डन करते हुए निगरानीधीन आदेश को उचित व कानून सम्मत बताते हुए निगरानी को एडमीशन स्तर पर ही खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। निगरानीधीन आदेश का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–151 सीपीसी में यह अंकित किया कि वादी सुखपाल द्वारा विवादित आराजी जमाबंदी में बिना न्यायालय निर्णय की पालना हुए ही विवादित आराजी में से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 532 / 2023 / अजमेर जगदीश बनाम सुखपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्तमान में दर्ज अपने 1/3 हिस्से की आराजी का विक्रय किया है जो अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया गया है, जिसका नामांतकरण भी आज दिनांक तक तस्दीक नहीं हुआ है जिससे विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित कराने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रार्थीनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने निगानीधीन आदेश में यह विवेचन किया है कि "पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट लीडी में दिनांक 02–05–2018 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री होने से मूल वाद में फैसल होने से प्रार्थनापत्र सारहीन होने से वाद के साथ संलग्न धारा 212 का उक्त दिनांक खारिज होकर फैसल शुमार है। चूंकि अंतर्गत धारा 212 का जो अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए है, वह पहले ही इस न्यायालय से निर्णित किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है"। इससे स्पष्ट होता है कि धारा 212 का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त प्रार्थनापत्र से पहले ही निर्णित किया जा चुका है। इसके बाद में जो प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया है, उसकी कोई औचित्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज कर परीक्षण न्यायालय ने किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं की है। परिणामस्वरूप निगरानीधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत निगरानी सारहीन होने से एडमीशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	